

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर के निर्देशन में मिशन शक्ति फेज 5.0 अभियान के तहत थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए युवती को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर श्री संदीप कुमार मीना के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री सुशील कुमार सिंह के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी मेंहदावल श्री सर्वदवन सिंह के पर्यवेक्षण में जनपद संतकबीरनगर में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक थाना मेंहदावल श्री राकेश कुमार सिंह की गठित टीम द्वारा थाना मेंहदावल पर पंजीकृत मु0अं0स0 415/2026 धारा 87,61(2) बीएनएस से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त शहजादे पुत्र जाहिद हुसैन निवासी बेलाकला थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर को आज दिनांक 16.10.2026 को बीमापार तिराहे के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय खाना किया गया।

विदित हो कि वादिनी द्वारा दिनांक 09.10.2026 को थाना मेंहदावल पर उक्त अभियुक्त के विरुद्ध वादिनी की पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय खाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री अनिल कुमार मिश्रा, का0 अमेरिका प्रसाद, का0 अनुराग वर्मा।

प्रेस नोट

जनपद-संतकबीरनगर

दिनांक-16.10.2026

कोतवाली खलीलाबाद पुलिस की बड़ी कार्यवाही, हत्या की घटना में संलिप्त 01 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व में गिरफ्तार 07 अभियुक्तों सहित अब तक कुल 08 अभियुक्त गिरफ्तार

गिरफ्तार अभियुक्त की निशानदेही पर आलाकत्ल 01 अदद बाँस का डण्डा बरामद

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री संदीप कुमार मीना के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री सुशील कुमार सिंह के मार्गदर्शन एवं क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद श्री प्रियम राजशेखर पाण्डेय के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली खलीलाबाद श्री जयप्रकाश दुबे के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम द्वारा थाना कोतवाली खलीलाबाद पर पंजीकृत मु0अ0सं0 890/2026 धारा 103(1), 3(5), 191(2), 191(3), 190, 61(2) बीएनएस से सम्बन्धित अभियुक्त नाम पता रामललित यादव पुत्र स्व0 नन्दू निवासी भगठान (गोसाईपुर) थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को आज दिनांक 16.10.2026 को बगहिया तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की निशानदेही पर आलाकत्ल 01 अदद बाँस का डण्डा बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण- दिनांक 22.09.2026 को वादी रमाकान्त यादव पुत्र दयाराम यादव निवासी भकठान गोसाईपुर, थाना कोतवाली खलीलाबाद, जनपद संतकबीरनगर द्वारा थाना कोतवाली खलीलाबाद पर प्रार्थना पत्र दिया गया कि उनके भाई ब्रह्मनन्द यादव दिनांक 22.09.2026 को घर से गिठनी बाजार जा रहे थे। जैसे ही वह राकेश यादव के घर के सामने पहुँचे, अभियुक्तगण द्वारा पूर्व नियोजित तरीके से उनकी बुलेट मोटरसाइकिल को रोककर उनकी आँखों में पिसी हुई लाल मिर्च डाल दी गई, जिससे वह गिर गए। इसके बाद अभियुक्तगण द्वारा लाठी-डण्डा एवं धारदार हथियार से उनके साथ मारपीट की गई। शोर सुनकर परिजन मौके पर पहुँचे तो ब्रह्मनन्द यादव गंभीर रूप से घायल अवस्था में मिले। मौके पर मौजूद लोगों द्वारा 112 नम्बर पर सूचना देकर उन्हें जिला अस्पताल पहुँचाया गया, जहाँ चिकित्सक द्वारा उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

रामललित यादव पुत्र स्व0 नन्दू निवासी भगठान (गोसाईपुर) थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर

बरामदगी विवरण- अभियुक्त की निशानदेही पर 01 अदद बाँस का डण्डा बरामद।

पूछताछ का विवरण- पूछताछ में अभियुक्त द्वारा बताया गया कि मेरे गाँव के रमाकान्त यादव प्रधान हैं। प्रधान रमाकान्त यादव, उनके भाई ब्रह्मनन्द यादव एवं श्रीकान्त यादव द्वारा प्रधान बनने के बाद से हमें बार-बार जान से मारने की धमकी दी जाती थी तथा परेशान किया जाता था। पूर्व में दिनांक 18.05.2026 को ब्रह्मनन्द यादव द्वारा अपने बाहरी लोगों एवं परिजनों के साथ हमारे साथ मारपीट की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली खलीलाबाद पर मुकदमा पंजीकृत हुआ था। इसी रंजिश के कारण मैं व परिवार के लोग एक साथ मिलकर सुनियोजित तरीके से ब्रह्मनन्द यादव को रास्ते से हटाने तथा आगामी प्रधानी चुनाव में रमाकान्त यादव को हराने की योजना बनाए। दिनांक 22.09.2026 को ब्रह्मनन्द यादव को बुलेट से आते देखकर मैं व मेरे परिवार के लोगो द्वारा उनकी आँखों में लाल मिर्च पाउडर डाल दिया गया, जिससे वह गिर गए। इसके बाद हम लोग लाठी-डण्डों से ब्रह्मनन्द यादव के साथ मारपीट की गई तथा राकेश यादव द्वारा अपने घर में रखी लोहे की गैती से उनके सिर एवं अन्य स्थानों पर वार किया गया। गंभीर चोट लगने के कारण ब्रह्मनन्द यादव जमीन पर गिर गए। हम लोगो को विश्वास हो गया कि ब्रह्मनन्द यादव की मृत्यु हो गई है। इसके बाद हम अपने घर के पास लाठी-डण्डे लेकर खड़े रहे तथा पुलिस के डर से लुक-छिपकर रह रहे थे, हमें पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम- प्रभारी निरीक्षक श्री जय प्रकाश दूबे, उ0नि0 श्री विनोद कुमार यादव, का0 प्रदीप कुमार पटेल, का0 रजनीश यादव, का0 श्रीश मिश्रा, का0 कृष्णनारायण गौड़, का0 अनिल यादव, का0 अरुण कुमार, म0का0 आरजू सिंह।

नोट: उक्त प्रकरण में पूर्व में 07 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय रवाना किया जा चुका है। आज 01 अभियुक्त की गिरफ्तारी के साथ ही प्रकरण में अब तक कुल 08 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

प्रेस नोट

जनपद – संतकबीरनगर

दिनांक 16.10.2026

**पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर के निर्देशन थाना धनघटा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण के मामले में
वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार**

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर **श्री संदीप कुमार मीना** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर **श्री सुशील कुमार सिंह** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी धनघटा श्री अभयनाथ मिश्रा के निकट पर्यवेक्षण में थाना धनघटा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 256/2026 धारा 108 बीएनएस में वाँछित अभियुक्त राम भजन पुत्र सुखराज निवासी ग्राम भैंसही थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को मुंडेरा शुक्ला तिराहे से आज दिनांक 16.10.2026 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादी श्री राहुल पुत्र मोतीलाल निवासी हकीमपुर थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर द्वारा दिनांक 02.05.2026 को थाना धनघटा पर प्रार्थना पत्र दिया कि वादी की बहन अनीता को उक्त अभियुक्त द्वारा आत्महत्या के लिए उकसाने पर आत्महत्या कर लिया गया। प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना धनघटा द्वारा अभियोग पंजीकृत कर साक्ष्य संकलन के आधार पर कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 16.10.2026 को घटना में संलिप्त उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस बल का विवरण:- उ0नि0 श्री उदय शंकर द्विवेदी, का0 अखिलेश, का0 आदर्श अग्रहरि।